न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/59/2022

हेमचन्द उम्र 42 साल पुत्र श्री सेलकराम जाति गुर्जर निवासी म.न. डेरा नई दिल्ली–74

.....प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत टाटा एस.एम.सी. 709 ई. एक्स/38 बी.एस–III रजिस्टर्ड नम्बर DL-1L-W-9178 चैसिस नम्बर MAT453132G8C07825 इंजन नम्बर 497TC96CTY811694 एफ.आई.आर. नम्बर 20/21 पुलिस थाना कुम्हेर जुर्म दफा 5 व 8 राजस्थान गौंवश पशु बध क प्रतिषेध एवं अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनियमय ।

उपस्थित :–

1–श्री राकेश सिंह फौजदार अभिभाषक प्रार्थी,

2–ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 12.7.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि वाहन टाटा एस.एम.सी. 709 ई.एक्स/38 बी.एस–III रजिस्टर्ड नम्बर DL-1L-W-9178 चैसिस नम्बर MAT453132G8C07825 इंजन नम्बर 497TC96CTY811694 का एक मात्र स्वामी है प्रार्थी उक्त वाहन को सुपुर्दगी मे लेने का अधिकारी है। प्रार्थी की गाडी दिनांक 27.12.2020 को दिल्ली से चोरी हो गई थी जिसकी एफआईआर संख्या 034021/2020 धारा 379 दिनांक 27.12.2020 को थाना कीर्ति नगर वेस्ट दिल्ली में दर्ज करायी थी। वाहन के समस्त दस्तावेज वाहन में ही रखे थे जो उसी के साथ चोरी हो गये थे। उक्त वाहन थाना कुम्हेर द्वारा जप्त कर लिया है उक्त वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उक्त वाहन की अनुसंधान हेतु कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। जप्त वाहन खुले में खड़ा रहने से उसके खराब होने की अन्देशा है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर उक्त वाहन को सुपुर्दगी में दिया जावे।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, पुलिस थाना पहाड़ी से पत्रावली तलब की गई। उपस्थित उभय पक्षकारान को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि उक्त जप्त वाहन का प्रार्थी मालिक है। जप्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है, जिसके खुले में खड़े रहने से धूप वर्षात में खराब होने का अन्देशा है। प्रार्थी का उक्त वाहन दिल्ली से चोरी हो गया था। गौवंश की तस्करी में लिप्त पाये जाने पर थाना पुलिस कुम्हेर द्वारा जप्त किया गया है। प्रकरण में थाना पुलिस से एफ.आर.पेश कर दी है। पुलिस को अब उक्त वाहन की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त जप्त वाहन का प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावे, न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी को स्वीकार होगी। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार किया जाकर वाहन सुपुर्दगी में दिया जाने की प्रार्थना की गई।

पैराकार सरकार ए.पी.पी. ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि उक्त वाहन थाना कोतवाली कुम्हेर में एफआईआर नंबर 20/2021 अन्तर्गत धारा 5/ 8 राजस्थान गौंवश अधिनियम में जप्त किया हुआ है। उक्त वाहन प्रतिबन्धित गौवंश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में परिवहन में लिप्त पाये जाने पर धारा में जप्त किया गया है। ए.पी.पी. ने राजस्थान गौवंशीयपशु(वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) संशोधन अधनियम 2018 की धारा 6 व 6क में दिये गये प्रावधानों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये बताया कि प्रार्थी को जप्त वाहन सुपुर्दगी में नही दिया जा सकता है, उन्होने प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। थाना अधिकारी पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर राज0 से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन किया गया। उक्त वाहन गौवंश तस्करी परिवहन में लिप्त पाये जाने पर पुलिस थाना कोतवाली कुम्हेर द्वारा गौवंश अधिनियम धारा 5/8 में मु0न0 20/2021 में जप्त किया हुआ है। राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1995 की धारा 5 में गोवंशीय पशु को राज्य के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी राज्य/स्थान को निर्यात प्रतिबन्धित किया हुआ है। गौवंशीय पशु को जप्त वाहन से राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 6 परिवाहक का दुष्प्रेरक होना में अंकित है :–

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

"".....जब कभी इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने उद्धेश्य को अग्रसर करने में परिवहन के किसी भी साधन से गोवंशीय पशुओं का परिवहन किया जाये तो परिवाहक उक्त अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी होगा और उसी दण्ड से दण्डनीय होगा जो उक्त अपराध करने वाले व्यक्ति के लिए अधिनियम की धारा 8 के अधीन उपंवधित है.....।"

इस प्रकार जप्त वाहन गौवंशीय पशु को राजस्थान सीमा से बाहर हरियाणा राज्य में गौवंश परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया। हम ए.पी.पी. के तर्को से सहमत हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निणर्य प्रति के साथ पत्रावली तहत वापिस पुलिस थानाधिकारी कुम्हेर को वापिस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.7.2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर